जमानत आदेश की सत्यप्रति

न्यायालयः– सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

जमानत आवेदन क्रं0–499 / 2022.

राजूलाल ठाकुर पिता झब्बूलाल ठाकुर, उम्र 33 साल,
निवासी ग्राम फरदफोड़, थाना देवरी,जिला बालोद(छ0ग0)

.....आवेदक / आरोपी.

/ / विरूद्ध / /

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र देवरी,
जिला बालोद (छ0ग0)जिला बालोद (छ0ग0) .....अनावेदक / अभियोजन

/ / आदेश की प्रतिलिपि / /

11.10.22– आवेदक / आरोपी की ओर से श्री धीरज उपाध्याय अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री प्रशांत पारख अधिवक्ता लोक अभियोजक।

मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद के न्यायालय से संबंधित रिमांड पत्रावली प्राप्त ।

आरक्षी केंद्र देवरी से अपराध क्रं0–185 / 22, अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त ।

आवेदक / आरोपी के जमानत आवेदन में यह घोषणा की गई है कि यह उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किन्हीं सत्र या माननीय उच्च–न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदन के समर्थन में आवेदक भाई ओम प्रकाश स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

आवेदक / आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक / आरोपी को दिनांक 27.09.2022 को गिरफतार किया गया है और वह वर्तमान में भी अभिरक्षाधीन है । आवेदक / आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है,उस

पर पूरा परिवार आश्रित है । मामले के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । आवेदक 33 वर्षीय नवयुवक है, आवेदक/आरोपी दर्शित पते का स्थायी निवासी है और जमानत की शर्तों का पालन करने तत्पर है । अतः आवेदन स्वीकार किया जाये ।

राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि शराब का क्रय विक्रय वर्तमान में अत्यधिक हो रहा है । अतः आवेदन निरस्त किया जाये ।

आरक्षी केंद्र देवरी से प्राप्त अपराध क्रं0–185/22, अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम की केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

अभियोजन कहानी के अनुसार शराब विक्रय की मुखबीर की सूचना पर से दिनांक–27.09.22 के 19.25 बजे थाना देवरी अंतर्गत ग्राम फरदफोड़ नहर पुल के पास आवेदक/आरोपी को अत्यधिक मात्रा में शराब रखना पाया गया तथा उसके कब्जे से एक सफेद बोरी में रखी 35 पौव्वा 6.300 एम0एल0 देशी प्लेन शराब कीमती 2800/–रूपये एवं बिक्री की राम 800/–रूपये को जप्त किया गया है तत्पश्चात अपराध की जीरो पर कायमी कर,थाना देवरी में अपराध क्रमांक–185/22, अंतर्गत धारा–34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर दौरान अनुसंधान आवेदक/आरोपी को दिनांक–27.09.2022 को गिरफतार किया गया है,आवेदक/आरोपी दिनांक 28.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है ।

केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया

आवेदक / आरोपी के कब्जे से 35 पौव्वा 6.300 एम0एल0 देशी प्लेन शराब को जप्त किया जाना दर्शित है । माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय के द्वारा बंटी सिंह विरूद्ध छ0ग0 राज्य,एमसीआरसी नं0–6846 / 14,निर्णय दिनांक 05.01.2015 में धारा–59 (।।) छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 09 बल्क लीटर शराब की जप्ती के संबंध में उल्लेख करते हुए आबकारी अधिनियम में उल्लेखित निर्धारित 05 बल्क लीटर से अधिक निर्धारित सीमा के संबंध में प्रकरण की परिस्थितियों में अभिरक्षा अवधि को देखते हुए नियमित जमानत का लाभ दिया गया है ।

इस प्रकरण में आवेदक / आरोपी से 6. 300 एम0एल0 देशी प्लेन शराब को जप्त किया गया है । आवेदक / आरोपी दिनांक 28.09.2022 से अभिरक्षाधीन है । आवेदक / आरोपी पर अन्य अपराध पंजीबद्ध होना अथवा पूर्व दोषसिद्धि प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होती है । आवेदक / आरोपी बालोद जिले का स्थायी निवासी है । जिससे आवेदक / आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या उसके फरार होने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है । अतः आवेदक / आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः आवेदक / आरोपी राजूलाल ठाकुर की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0संहिता स्वीकार कर,आदेशित किया जाता है कि आरोपी की ओर से मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद की

संतुष्टि योग्य 50 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश किये जाने पर आरोपी को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त कर दिया जावेः–

(01).आवेदक/आरोपी गवाहों से सम्पर्क का कोई प्रयास नहीं करेगा,

(02).आवेदक/आरोपी मामले की विवेचना/विचारण को विलंबित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा,

(03).आवेदक/आरोपी प्रत्येक सुनवाई तिथि को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित रहेगा,

आदेश की प्रतिलिपि रिमांड पत्रावली सहित मुख्य न्यायिक मजि0 बालोद को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ थाना प्रभारी देवरी को केस डायरी सूचनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की प्रतिलिपि लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित हो ।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही/–
(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
सत्र न्यायाधीश, बालोद